

संस्था आरोग्य

शुरूआत

अक्टूबर 1995 में संस्था की शुरूआत सामाजिक उत्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के उद्देश्य से हुई। जीवन में खासतौर पर समाज के गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों के बीच उनके हितों के लिए काम करने के उद्देश्य से विशेषकर ग्रामीण विकास, महिलाओं और बच्चों के हित में उनके जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आधारभूत आवयशक्तों से संबंधित विषयों को लेकर। आज भी संस्था अपने इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।

संस्था की पहुंच

संस्था प्रमुखतः म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में कार्यरत है और उसका पंजीकृत कार्यालय भोपाल एवं मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।

लक्ष्य

राज्य और राष्ट्र स्तर पर कमज़ोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के हित में कार्य ही संस्था का लक्ष्य है। विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उन्मूलक क्षेत्रों में। संस्था ऐसा अनुभव करती है कि लोगों में अगर जानकारी है तो वह एक दिन जरूर उनका जीवन बदल देगी इसी विचार को लेकर संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन विकास के क्षेत्रों में कार्यरत है। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य जैसे आज की जरूरत के क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से भोपाल जिले में कार्यरत है।

हमारी विचारधारा

मौजूदा प्रयासों को और सफल बनाना यही हमारी विचारधारा का मुख्य लक्ष्य है। समाज के विभिन्न वर्गों, कमज़ोर तबकों, महिलाओं और बच्चों के हित में विशेषज्ञों की देख-रेख में शासन और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए संस्था सदैव तत्पर रही है।

सूचना, शिक्षा, संचार

संस्था का अद्य विश्वास है जानकारी लोगों का जीवन बदल सकती है। इसी विश्वास और विचारधारा के साथ हम पिछले लगभग 12 वर्षों से समाज के कमज़ोर तबकों के बीच कार्यरत हैं। विशेषकर ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बात चाहे बच्चों के पोषण की हो या उनके सही विकास की। बात चाहे लिंगभेद की हो या बालिका शिक्षा की। हमारा विश्वास है समाज सही जानकारी से सही दिशा में अग्रसर हो सकता है और इसी को लेकर हम कार्यरत हैं। समाज में बदलाव के उद्देश्य को लेकर आम आदमी तक इसकी जानकारी पहुंच सके इस हेतु सूचना, शिक्षा, संचार माध्यमों को बढ़ावा देना एवं उनको आम जनों तक पहुंचाना है।

मातृ एवं शिशु जीवन के लिए समर्पित

मातृ शिशु जीवन के लिए विशेष रूप से कार्यरत हैं। यह बात अजीब लग सकती है पर जब बात मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर की आती है तब बहुत पिछड़ा हुआ लगता है। हमें विश्वास है कि बालिका शिक्षा पर अगर प्रदेश में ध्यान देंगे तो मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर पर निश्चित इसका प्रभाव धनात्मक होगा। संस्था के इसके लिए अपने स्तर पर प्रयासरत है।

बच्चों तक पहुंच

हमारा विश्वास है कि बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और जो उन्हें बताया जायेगा उसे अमल में लाने में देरी नहीं करते इसलिए हम आंगबाड़ियों और स्कूलों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचकर उनके बीच शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य

यही हमारी सामाजिक प्राथमिकता है और अंतिम क्षण तक संस्था इसके लिए कार्य करती रहेगी। हम सोचते हैं शिक्षा एवं स्वच्छता स्वास्थ्य की कुंजी है।

ग्रामीण विकास

आज भी भारत का ज्यादातर हिस्सा गांवों में बसता है ओर उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रयासों में संस्था निरंतर प्रयासरत है। संस्था ग्रामीण विकास के सभी जरूरी पहलुओं जैसे रोजगार गांरटी योजना, जलाभिषेक अभियान, समग्र स्वच्छता अभियान, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, स्कूल चलें हम, नंदन वन आदि योजनाओं के कार्ययोजना निर्माण, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है।

आरोग्य जन कल्याण संस्था

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2005—06

रोजगार गारंटी योजना

सरकार की व्युप्रतीक्षित “रोजगार गारंटी योजना“ का शुभारंभ म.प्र. शासन द्वारा 2 फरवरी को 18 जिलों में किया। आजीविका के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही “राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी योजना“ के उचित क्रियान्वयन के उद्देश्य से प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का संचालन संस्था द्वारा बड़वानी जिले में किया गया। बढ़ते प्रचार माध्यमों के बीच अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाना दुश्वारी भरा था विशेष कर ऐसे ग्रामीण एवं अन्दरूनी क्षेत्र जहाँ आधुनिक प्रचार माध्यम नहीं पहुंच पाते। प्रचार प्रसार के कार्यक्रम इस क्षेत्र में अपनी उपयोगिता के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इसकी सीधी पहुंच और दर्शकों से सीधे संवाद कायम करने की क्षमता के कारण यह सम्प्रेक्षण का श्रेष्ठ जरिया है।

भारत की आजादी के बाद से ही विकास की जो अवधारणा बनी उसमें रोजगार को एक महत्वपूर्ण आधार दिया गया। शासन की योजनाओं और कई सफल प्रयोगों ने समाज की दशा में खासे बदलाव किये हैं, इसका परिणाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगातार कमी होना तथा उनका जीवन गरीबी रेखा के नीचे से मुक्त होना है, पिछले एक डेढ़ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गुणात्मक बदलाव हुए हैं। खुले बाजार की नीतियों ने जहां सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका सीमित की है, वहां राज्य (State) को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्थक हस्तक्षेप के अधिक अवसर दिये हैं।

इस परिदृश्य में रोजगार अभियानों को एक नयी दृष्टि मिली है। बजट की राशि में रोजगार अभियानों के लिए लगातार बढ़ोत्तरी हुई है और जनकल्याण की नयी योजनाएँ अस्तित्व में आई हैं। रोजगार अभियानों को जिस तरह का एक महत्वपूर्ण आयाम दिया गया है, उसमें जन समूहों की भागीदारी, उनकी जागरूकता, उनका निर्णय में हिस्सेदारी होना, जैसे अनेक नये और अहम् पहलू आज महत्वपूर्ण हो चले हैं।

इन सभी बातों की सूचना और जानकारी न केवल नयी योजनाओं की सफलताओं के लिहाज़ से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समुदाय की सशक्तिकरण की प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा है। इस पूरी प्रक्रिया से लोगों को जोड़ने के लिये जरूरी है कि उनमें “राष्ट्रीय रोजगार ग्यारंटी योजना“ की बातों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मीडिया का प्रयोग हो।

अतः जनता को जाग्रत करने के उद्देश्य से एवं जनजाग्रती लाने हेतु प्रचार प्रसार के कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूरे जिले के सभी विकासखण्डों में किया।

जलाभिषेक अभियान

आज बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से जल स्रोतों की संख्या में लगातार कमी हो रही है एवं पेयजल की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस समस्या का मुख्य कारण भू-जल स्रोतों में कमी होना है, जल संकट के दावानल से बचने के लिए अनेक ऐसी शासकीय योजनाएँ हैं, जो व्यापक जन का हित करने वाली हैं। आवश्यकता है तो जन-जन में इसकी जानकारी समझ और सूचना पैदा करने की। बढ़ते प्रचार माध्यमों के बीच अपने हित की योजना को खोज पाना दुश्वारी भरा हो गया है। साथ ही अनेक प्रचार माध्यमों की पहुंच एक वर्ग विशेष तक ही हो पाती है। इसके लिए शासन द्वारा “जलाभिषेक अभियान“ की शुरुआत पूरे म.प्र. में की।

संस्था द्वारा म.प्र. शासन की योजना जलाभिषेक में शासन के साथ सामाजिक भागीदारी के लिए जागरूकता अभियान कार्यक्रम का क्रियान्वयन कई जिलों में प्रचार-प्रसार कर जन जागरूकता अभियान चलाया। संस्था द्वारा जिलों में प्रचार-प्रसार सामाग्री, नुकड़ों नाटकों का मंचन, गीत संगीत मंडली, वीडियो वेन से प्रदर्शन आदि का उपयोग किया।

योजना के लोकव्यापीकरण एवं जिलों में जल संरक्षण एवं पानी बचाओ आंदोलन के लिए यह एक आवश्यक अंग है। संस्था द्वारा जिला पंचायत भिण्ड, मंदसौर एवं बड़वानी जिले में योजना का सफलतापूर्वक प्रचार प्रसार किया।

संस्था को जलाभिषेक योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा 22 जिलों प्रचार प्रसार का आदेश भी मिला जिसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया।

राजीव गांधी जलग्रहण मिशन

सामान्यतः ग्रामीण गरीब महिलाओं/पुरुषों के समक्ष परिवार संचालन की अनेक कठिनाईयां रहती हैं। उनके पास खाली समय तो है, किन्तु अज्ञानता, जानकारी का अभाव एवं धन की कमी उन्हे अपना विकास करने से रोकती हैं।

हमारे ग्रामीण समाज के गरीब महिलाओं/पुरुषों को इस बाबत् शिक्षित किया जाये कि वे अपने अतिरिक्त खाली समय का उपयोग कुछ ऐसे कार्यों में व्यतीत करें जिससे उनकी व्यक्तिगत आय में वृद्धि हो एवं उक्त आय उनके परिवार के संचालन में सहायक हो सके।

राजीव गांधी जलग्रहण मिशन अंतर्गत पी.आई.ए. सदस्यों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हे किसी ऐसी अर्थिक गतिविधि से जोड़ा जावे कि जिसे वे अपने सीमित संसाधनों से अपने ही निवास स्थल पर प्रारंभ कर सके।

संस्था द्वारा मुख्य रूप से अशिक्षित/अर्ढशिक्षित महिलाओं/पुरुषों के मध्य कार्य कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता रहा है। क्षेत्रीय संसाधनों/स्त्रोतों को तलाश कर उनके दोहन हेतु महिलाओं/पुरुषों में प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन कर उन्हें आय उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संस्था द्वारा जिला पंचायत भिण्ड में वाटरशेड के समूहों को प्रशिक्षण दिया गया। डेयरी फार्म, मशरूम उत्पादन एवं बकरी पालन एक ऐसी ही अंत्यंत सीमित धनराशि व अल्प संसाधनों से स्वयं के घर में ही शुरू की जा सकने वाली गतिविधियां हैं।

साथ ही संस्था सामुदायिक भागीदारी, सहयोग समन्वय के साथ विकास करने की भावना भी जगाने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ महिलाओं/पुरुषों में समूह भावना जागृत कर उन्हें सामूहिक रूप से बचत के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं संस्था के द्वारा जिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्देश्यों को लेकर कार्य किया गया है उसमें सफलता का प्रतिशत सर्वाधिक है।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

संस्था द्वारा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत जिला पंचायतों में पालक शिक्षक संघ/ स्व सहायत समूहों को पौष्टिक आहार प्रबंधन पर तकनीकी कुशलता प्रशिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया एवं जिला पंचायत भिण्ड में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य पालक शिक्षक संघ/स्व सहायता समूहों में व्यवसायिक गतिविधियां एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये जागरूकता पैदा करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य पालक शिक्षक संघ/स्व सहायता समूहों में उद्यमिता के सभी क्षेत्रों में कौशल उन्नयन, समन्वयन, बचत, विपणन एवं प्रबंधन आदि की सही जानकारी एवं उद्यमिता के सही गुण विकसित करना है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों से प्रशिक्षणार्थियों में शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर जो भी आतियां हैं वह दूर होती हैं साथ ही इन योजनाओं में जनभागीदारी के अवसर सुलभ होते हैं।

संस्था द्वारा जिला पंचायत के समस्त विकासखण्डों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में सम्मिलित पालक शिक्षक संघ/स्व सहायता समूहों को 3 दिवसीय अरहवासी प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया है।

संस्था द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी विकासखण्डों में समान उद्देश्यों एवं शासन की नीति निर्धारण के अनुरूप बनाया एवं दिया जावेगा। यह 3 दिवसीय अरहवासी प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था द्वारा जिला पंचायत के सभी विकासखण्डों में प्रातः 11 बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित किया जावेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी प्रशिक्षणार्थियों को दृश्य श्रृंग सामग्री के द्वारा व्यवहारिक अध्ययन के माध्यम से विशेषज्ञों के द्वारा दिया जावेगा।

स्कूल चलें हम

06–14 आयु वर्ग के सभी बालकों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार शिक्षा का संवैधानिक अधिकार तो प्राप्त है, किन्तु आज भी शिक्षा के लोकव्यापीकरण के पश्चात भी प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 06–14 आयु समूह के कई बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं। इन सभी बच्चों को आगामी शिक्षा सत्र जुलाई 2006 में अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जाये, इस हेतु संस्था द्वारा कई जिलों में दस्तक दी है।

संस्था पूर्व में दमोह जिले में नीचे दी हुई योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कर चुकी है एवं अन्य जिलों में एक जागरूकता अभियान चलाकर जिले की प्रत्येक ग्राम एवं बसाहट, जहां कि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध है, में दर्ज कराने हेतु अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहती है।

इस हेतु समिति की कार्ययोजना है कि बच्चेवार-घरवार सर्वे, स्कूल सर्वे, घरों के सर्वे का गौसवारा, समुदाय के साथ सूचना शेयर करना, शैक्षिक योजना की तैयारी, ग्रामीण शिक्षा रजिस्टर के आधार पर अनुश्रवण, नुक़ड़ नाटकों का मंचन, मध्यप्रदेश में लागू किये गये जनशिक्षा अधिनियम का गांव-गांव एवं आवासीय बस्ती में प्रचार, प्रभातफेरी का आयोजन, छोटी और स्कूलरहित बस्तियों की जानकारी, स्कूल से बाहर रह गये बच्चों के कौन-कौन से समूह हैं एवं कैसे हैं, उन परिस्थितियों का आकलन जिनके कारण पालक बच्चों को शाला में भेजने में असमर्थ हैं? शासन की उन योजनाओं का प्रचार-प्रसार, जिनके माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, बालिकाओं के लिए निःशुल्क गणवेश वितरण, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम आदि योजनाओं की जानकारी उन बस्तियों एवं बसाहटों में प्रसारित की जायेंगी, जिससे कि पालक अपने बालकों को शाला में प्रवेश दिलाना अपना अनिवार्य दायित्व समझ सकें। उन परिस्थितियों का अध्ययन जिनके कारण शासन और समाज की सारी कोशिशों के बावजूद भी बच्चे अप्रवेशी रह जाते हैं?

इन सब कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु संस्था द्वारा ग्राम पटवारी, ग्राम शिक्षक, ग्राम शिक्षा समिति, आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका, स्वास्थ्य विभाग के ग्रामीण स्तर के कर्मचारी, वन विभाग के कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी एवं अन्य विभाग के ऐसे कर्मचारी जो कि मैदानी अमले के रूप में ग्राम स्तर पर पदस्थ हैं, से संपर्क कर योजना के लोकव्यापीकरण हेतु शासन की मंशा के अनुरूप उन पालकों को योजना के संबंध में जानकारी इन सबके माध्यम से दी जावेगी, जिससे कि शिक्षा के महत्व को जिले के समस्त निवासी अंगीकार करते हुए आगामी शिक्षा सत्र में बच्चों को प्रवेश दिलाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।

स्वास्थ्य-सूचना-शिक्षा

संस्था द्वारा यह प्रस्तावित किया है कि सम्पूर्ण म.प्र. में स्वास्थ्य विभाग एवं जनसम्पर्क विभाग के साथ मिलकर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जावे। अनेक ऐसी शासकीय योजनाएँ हैं, जो व्यापक जन का हित करने वाली है। आवश्यकता है तो जन-जन में इसकी जानकारी समझ और सूचना पैदा करने की। इसी कड़ी में एक ज्वलंत समस्या हैं विभिन्न भयावह बीमारियां जिस जिले में विभिन्न बीमारियों से पीड़ितों की संख्या अधिक होती है उस जिले का सामाजिक एवं आर्थिक विकास रुक जाता है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए बीमारियों की रोकथाम बहुत आवश्यक है, बीमारियों का किसी भी जिले में होना जिले के विकास में बाधक है, इसलिये हमारे समाज का विकास करने हेतु जिले के लागों को जाग्रत करने के लिए प्रचार प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता हैं तभी प्रदेश का चैंहमुखी विकास सम्भव है।

संस्था शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे जननी प्रसव, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं निशुल्क चिकित्सा आदि योजनाओं का प्रचार प्रसार सम्पूर्ण म.प्र. में करनी चाहती है। जिसके लिए आदिवासी जिलों के सभी विकासखण्डों में एक दिवसीय मेले लगाकर, प्रचार रथ नृत्य दलों के साथ, जादू के शो, कठपुतली के शो, नुककड़ नाटकों का मंचन एवं स्वास्थ्य शिविरों का संचालन करेगी।

संस्था पूर्व से ही संस्कार शिक्षा समिति के सहयोग से भोपाल एवं सीहोर जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर कार्य कर रही है। साथ ही संस्था ने बड़वानी, बैतूल एवं उमरिया जिले में एक प्रस्ताव दिया है जिसमें आर.सी.एच. ।। प्रोग्राम के तहत आदिवासी जिलों में मेले आयोजित करेगी।

नशामुक्ति

- (I) 26 जून-विश्व नशा विरोधी दिवस के अवसर पर नारियल खेड़ा क्षेत्र में महिला शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नशा पीड़ित व्यक्ति व उनके परिवार का निःशुल्क प्रीट्रीटमेंट काऊंसलिंग, फालोअप व मेडिकल चेकअप का लाभ भी मिला। करीब 68 महिला, 32 नशा पीड़ित तथा 45 किशोर व युवाओं ने इस शिविर का लाभ लिया।
- (II) महात्मा गांधी जयन्ती व व्यसनमुक्ति सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2005 में महिलाओं ने बैरसिया, सीहोर, कोलार रोड़ क्षेत्र, मण्डीदीप व औबेदुल्लागंज इन स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया। सभी जगह रैली निकालकर जनजागृति हेतु संदेश दिया गया। पूरे सप्ताह में आयोजित शिविरों में कुल मिलाकर 300 महिलाओं ने 158 किशोरियों 90 युवाओं ने सक्रिय सहभाग दिया।
- (III) 1. आरोग्य जन कल्याण संस्था एक स्वैच्छिक संगठन है जो महिलाओं को सजग व सशक्त बनाने में निरन्तर कार्यरत है। वर्तमान समाज में महिलाओं का सबसे बड़ा दुःख व समस्या नशाखोरी है। नशाखोरी का सबसे बड़ा दुष्प्रदभाव महिला व बच्चों वर्षों पर होना है। नशा भले ही बेटा करें या पति करें उसके सारे बूरे असर परिवार को विशेषतः महिला व बच्चों को झेलना पड़ते हैं। इस पृष्ठभूमि पर आरोग्य जन कल्याण संस्था ने “व्यसनमुक्त व एड्स मुक्त - समाज निर्माण हेतु अभियान आरंभ किया है।
2. महिला, किशोर तथा युवाओं के लिए सोसायटी ने “एड्स व व्यसनप्रतिबंधात्मक शिक्षा- कार्यक्रम आरंभ किया है। भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को संगठित कर यह कार्यक्रम आयोजित किये गए।
3. वर्ष 2005–2006 में सोसायटी द्वारा निम्नलिखित विभिन्न स्थानों पर एड्स व व्यसनमुक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा परामर्श हेतु कार्यक्रम आयोजित किये गए।
4. 14 अप्रैल 2006 डॉ. बाबा साहब अम्बेड़कर जयंती के अवसर पर बाबा नगर, शाहपुरा में प्रशिक्षण व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। करीब 48 महिला, 22 किशोर व 18 युवाओं ने इस शिविर का पूरा लाभ उठाया।
- (IV) बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छोला नाका क्षेत्र में महिला शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 52 महिलाएं, 18 किशोर व 12 युवाओं ने सक्रिय सहभाग दिया। काऊंसलिंग द्वारा महिलाओं के मन में जो भ्रम व अज्ञान होता है उसे निकालकर महिलाओं में आत्मविश्वास का निर्माण किया जाता है ताकि महिलाएं अपने भीतर के सद्गुणों को पहचानकर धैर्य व सहनशिलता के साथ परिस्थितियों का सामना कर अपना व परिवार का विकास कर सकें।